Ph.- 0291 –2795345 / 46 / 47
E-mail- rajugpgayush@gmail.com

OFFICE OF CHAIRMAN, COUNSELING BOARD

(UG/PG AYUSH Counseling Board, Govt. of Rajasthan)
112-113, Administrative Block, First Floor
Dr Sarvepalli Radhakrishan Rajasthan Ayurveda University, Nagaur Road, Jodhpur-342037

FEE STRUCTURE FROM THE SESSION 2020-21

As decided by the Justice Shri S N Bhargawa Committee

Vide Order NO.:- प.25(5)आयु./2000 पार्ट जयपुर, दिनांक 23.10.2017 & प.25(5)आयु./2000 पार्ट जयपुर दिनांक 29.12.2017 (राजस्थान सरकार, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

1.	Govt. MMM Ayurved College, Udaipur BAMS (4½ Years Course)	6979/- (For Ist Year)	
2.	University College of Ayurved, JodhpurBAMS(4½ Years Course)	Ist Yr. 90,000/-, IInd Yr. 90,000/-, IIIrd Yr. 90,000/- IV Yr. 90,000/-, Vth (½) Yr. 45,000/- Total - 405,000/-	
3.	All Private Ayurved College BAMS (4½ Years Course) Affiliated to Dr S R Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	2,00000 (2 Lakh) /- Per Year	
5.	All Private Homeopathic Colleges BHMS (4½ Years Course) Affiliated to Dr S R Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1,30,000/-Per Year	
6.	University College of Unani, Bagghikhana, Tonk BUMS (4½ Years Course) (An Autonomous College)	Ist Yr. 90,000/-, IInd Yr. 90,000/-, IIIrd Yr. 90,000/- IV Yr. 90,000/-, Vth (½) Yr. 45,000/- Total - 405,000/-	
7.	All Private Unani Colleges BUMS (4½ Years Course) Affiliated to Dr S R Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	1,30,000/-Per Year	
8.	All Private Naturopathy & Yoga College BNYS (4½ Years Course) Affiliated to Dr S R Rajasthan Ayurved University, Jodhpur	90,000/-Per Year	
9.	Jayoti Vidhypeeth Women's University, for BAMS/BHMS (Private University)	BAMS	Rs. 3,75000/- Per Year X 4.5 Yeasr 16.87 lacs for complete program fee (attached copy)
		BHMS	Rs. 1,25,000/- Per Year X 4.5 Yeasr 6.625 lacs for complete program fee (attached copy)
10.	The Tantia University, Hanumangarh Road, SriGanganagar for BAMS/ BHMS (Private University)	BAMS	3,60,000/- Annual Fee
		BHMS	1,10,000/- Annual Fee
11	Apex University (Private University) BNYS (4½ Years Course)	60,000/- Annual Fee (attached copy)	

Note:- Fees for NRI Quota Seats (only in private colleges) has been decided on US$15000 for BAMS and US$11000 for BHMS/BUMS by the Govt. of Rajasthan Vide Order Number – F.25(6)Ayu/2000 Part, Jaipur Dated 23-06-2017.

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक–प 25(6)आयु /2000 पार्ट जयपुर, दिनांक – 23.10.2017

आज्ञा

न्यायमूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधिपति) अध्यक्ष फीस निर्धारित कमेटी की अध्यक्षता में सम्पन्न फीस निर्धारण कमेटी की बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय के आधार पर राजस्थान राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित आयुर्वेद पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2017–18 से निम्नानुसार फीस निर्धारित की जाती है :–

क्र.स.	पाठ्यक्रम	वार्षिक फीस (रूपये में)
1	B.A.M.S.	2.00 लाख रूपये (अक्षरे रूपये दो लाख) वार्षिक
2	P.G. Course in Ayurved	2.25 लाख रूपये (अक्षरे रूपये दो लाख पच्चीस हजार) वार्षिक

समिति द्वारा निर्धारित यह फीस ढांचा वर्ष 2017–18 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये लागू होगा तथा पाठ्यक्रम पूरा होने तक उक्त निर्धारित फीस ढांचा ही लागू रहेगा। गत वर्षो में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रवेश के समय निर्धारित फीस ढांचा ही लागू होगा।

आयुर्वेद की उक्त डिग्रियों में B.A.M.S. पाठ्यक्रम की अवधि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (C.C.I.M.) द्वारा क्रमशः साढे चार वर्ष की निर्धारित की गई है। अतः विद्यार्थियों से प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक निर्धारित फीस ली जावें, इसके पश्चात पॉचवे वर्ष में निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत भाग लिया जावे।

समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना संरचनात्मक ढांचा व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिये योग्य एवं पात्र शिक्षकों को उचित वेतन देंगे।

कोई भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, छात्रों से किसी भी प्रकार की केपीटेशन फीस वसूल करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय निर्धारित फीस से ज्यादा किसी भी मद में कोई भी राशि छात्रों से लेने के लिये अधिकृत नहीं होगें तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क व नामांकन शुल्क, जो विश्वविद्यालय को देय होगा, वही छात्रों से वसूल किया जाये।

महाविद्यालयों को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से 5,000/– रूपये रिफण्डेबल कॉशन मनी वसूली करने का अधिकार होगा, इससे ज्यादा छात्रों से वसूल नहीं की जावे।

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कॉशन मनी/सुरक्षा राशि अथवा अन्य रिफण्डेबल शुल्क राशि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम अवधि समाप्ति अथवा पाठ्यक्रम को मध्य में छोडने के दो माह में विद्यार्थी के बैंक खाते में आवश्यक रूप से जमा करवायी जावे।

यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष की फीस जमा कराने के पश्चात् चालू सत्र में किसी अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.बी.एस., इजिनियरिंग/बी.एस.सी.एग्रीकल्चर आदि में प्रवेश लेने हेतु कॉलेज छोड़ता है तो उसकी 90 प्रतिशत फीस राशि तुरन्त लोटायी जावे।

(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. न्यायामूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधिपति, 20/46, अम्बेडकर मार्ग, रेणु पथ, मानसरोवर– जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
6. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही एवं समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित करने बाबत्।
7. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
8. श्री बी.एल.गौड, पूर्व कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (अराजकीय सदस्य) 80, सेनापति हाऊस से पीछे, प्रेमनगर– झोटवाडा जयपुर।
9. डॉ. राजेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (सदस्य केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (C.C.I.M.)।
10. श्री सुनील गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेट, प्लाट नं. 1, संग्राम कॉलोनी, सी–स्कीम जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

23/10/17

(दिनेश कुमार गर्ग)
अनुभाग अधिकारी

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक–प.25(6)आयु. / 2000 पार्ट

जयपुर, दिनांक – 29.12.2017

आज्ञा

न्यायमूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधिपति) अध्यक्ष फीस निर्धारित कमेटी की अध्यक्षता में सम्पन्न फीस निर्धारण कमेटी की बैठक दिनांक 16.11.2017 में लिये गये निर्णय के आधार पर राजस्थान राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित निम्नांकित होम्योपैथी, यूनानी एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु **शैक्षणिक सत्र 2017–18 से** निम्नानुसार फीस निर्धारित की जाती है:–

I. राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जगदम्बा कॉलोनी, पालडी मीणा, आगरा रोड, जयपुर।
II. मांगीलाल निर्वाण होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, जयपुर–जोधपुर बाईपास, गार्डन सिटी के पास बीकानेर।
III. विवेकानन्द योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, कहारों की ढाणी, बाजोर, सीकर।

A. स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु –

क.सं.	पाठ्यक्रम	वार्षिक फीस(रूपये में)
1	B.H.M.S	1.30 लाख रू. (अक्षरे रू. एक लाख तीस हजार) वार्षिक
2	B.U.M.S	1.30 लाख रू. (अक्षरे रू. एक लाख तीस हजार) वार्षिक
3	B.N.Y.S	0.90 लाख रू. (अक्षरे रू. नब्बे हजार) वार्षिक

B. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु –

क.सं.	पाठ्यक्रम	वार्षिक फीस(रूपये में)
1	PG Course in Homoeopathy	1.75 लाख रू. (अक्षरे रू. एक लाख पिछत्तर हजार) वार्षिक

उल्लेखनीय है कि फीस निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.10.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार विभागीय आदेश दिनांक 23.10.2017 तथा 31.10.2017 द्वारा उक्त तीन संस्थाओं द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाने के कारण निर्देश जारी किये गये थे कि इन महाविद्यालयों हेतु फीस अभिवृद्धि सत्र 2017–18 से लागू नहीं होगी तथा पूर्व निर्धारित फीस संरचना ही लागू रहेगी।

संस्थाओं द्वारा दिनांक 05.10.2017 के पश्चात् प्रस्तुत सूचना तथा प्रार्थना पत्र के आधार पर विचार करते हुए उपर्युक्त तीनो महाविद्यालयों हेतु भी फीस निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 05.10.2017 के आधार पर जारी आदेश अनुसार अन्य महाविद्यालयों के समान नवीन फीस संरचना शैक्षणिक सत्र 2017–18 से लागू किये जाने की फीस निर्धारण समिति ने अपनी बैठक दिनांक 16.11.2017 में अभिशंषा की गई है।

समिति द्वारा निर्धारित यह फीस ढांचा वर्ष 2017–18 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिये लागू होगा तथा पाठ्यक्रम पूरा होने तक उक्त निर्धारित फीस ढांचा ही लागू रहेगा। गत वर्षों में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये प्रवेश के समय निर्धारित फीस ढांचा ही लागू होगा।

उक्त डिग्रियों (B.H.M.S/ B.U.M.S./B.N.Y.S.) पाठ्यक्रम की अवधि केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (C.C.I.M.) एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (C.C.H). द्वारा क्रमशः साढे चार वर्ष की निर्धारित की गई है। अतः विद्यार्थियों से प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक निर्धारित फीस ली जावें, इसके पश्चात् पॉचवे वर्ष में निर्धारित फीस का 50 प्रतिशत भाग लिया जावे।

Scanned by CamScanner

समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना संरचनात्मक ढांचा व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के लिये योग्य एवं पात्र शिक्षकों को उचित वेतन देंगें।

कोई भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय, छात्रों से किसी भी प्रकार की कैपीटेशन फीस वसूल करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय निर्धारित फीस से ज्यादा किसी भी मद में कोई भी राशि छात्रों से लेने के लिये अधिकृत नहीं होगें तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क व नामांकन शुल्क, जो विश्वविद्यालय को देय होगा, वही छात्रों से वसूल किया जाये।

महाविद्यालयों को प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों से 5,000/– रूपये रिफण्डेबल कॉशन मनी वसूली करने का अधिकार होगा, इससे ज्यादा छात्रों से वसूल नहीं की जावे।

महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कॉशन मनी/सुरक्षा राशि अथवा अन्य रिफण्डेबल शुल्क राशि विद्यार्थी के पाठ्यक्रम अवधि समाप्ति अथवा पाठ्यक्रम का मध्य में छोड़ने के दो माह में विद्यार्थी के बैंक खाते में आवश्यक रूप से जमा करवायी जावे।

यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वर्ष की फीस जमा कराने के पश्चात् चालू सत्र में किसी अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसे एम.बी.बी.एस., इंजिनियरिंग/बी.एस.सी.एग्रीकल्चर आदि में प्रवेश लेने हेतु कॉलेज छोड़ता है तो उसकी 90 प्रतिशत फीस राशि तुरन्त लोटायी जावे।

Sd/-
(कुन्दन कुमार माथुर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. न्यायामूर्ति श्री एस.एन. भार्गव (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधिपति, 20/46, अम्बेडकर मार्ग, रेणु पथ, मानसरोवर– जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
6. निदेशक होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर
7. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही एवं समस्त महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ प्रेषित करने बाबत्।
8. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
9. श्री बी.एल.गौड, पूर्व कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (अराजकीय सदस्य) 80, सेनापति हाऊस से पीछे, प्रेमनगर– झोटवाडा जयपुर।
10. डॉ. राजेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (सदस्य केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (C.C.I.M.)।
11. श्री सुनील गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेट, प्लाट नं. 1, संग्राम कॉलोनी, सी–स्कीम जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(फुलचन्द मीणा)
सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner

JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN'S UNIVERSITY, JAIPUR

Annexure-II

The Fee details BAMS, BHMS, BNYS programs:

Part-I Admission Fee

Fee Head	Fee Amount in INR (For Hostellers)	Fee Amount in INR (For Day Boarder)
Application Registration Fee (One Time, Non Refundable)	1,000/-	1,000/-
Admission Fee (One Time, Non Refundable)	21,000/-	11,000/-
Uniform Fee	7,000/-	7,000/-
Total	**29,000/-**	**19,000/-**

Part-II Program wise Fee detail

Program Name	University Development Fee (One Time Non-Refundable at the time of Admission)	Total Program Fee for duration of 4.5 Yrs
BAMS	50000/-	**Rs. 3,75,000/- per year *x* 4.5 Years** 16.87 lacs for complete program fee
BHMS	-	**Rs. 1,25,000/- per year *x* 4.5 Years** 6.625 lacs for complete program fee
BNYS	-	**Rs. 60,000/- per year *x* 4.5 Years** 2.70 lacs for complete program fee

Note: Hostel Fee/ Transport Charges shall be payable additionally as per alloted seat category (Residential/ Dayboarder Seat) to the students

Meghna

JV'n Meghna Singhal
Registrar
Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

REGISTRAR
Jayoti Vidyapeeth Women's University
Jaipur

Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Minutes of Meeting
14th Meeting of Fee Monitoring Committee

The 14th Meeting of Fee Monitoring Committee was held on 03/08/2020 in the office of Executive Director at 2pm. This meeting was presided over by Sh. K.S. Shkhdev, Executive Director. Following members were present in the meeting.

1. Sh. K.S. Sukhdev, Executive Director-Chairperson
2. Dr. Parveen Kumar, Director Academic & Research-Member
3. Dr. Charanjeet Singh, Dean, Faculty of Homoeopathy-Member
4. Dr. Mukesh Goyal, Dean, Faculty of Para Med. & Allied Health Sciences -Member
5. Dr. Ajay Sharma, Dean, Faculty of Ayurveda- Member
6. Dr. Subhash Upadhyay, Principal, Sri Ganganagar College of Ayurvedic Science & Hospital -Member
7. Mr. Harpal Singh Sohal, Chief Accounts and Finance Officer-Member
8. Registrar, Member Secretary

Following points were discussed in this meeting.

Item 1: ***Considered the Fee Structure of UG & PG courses of Ayurved.***

Res 01 It was resolved that fee structure of BAMS & MD (Ayurved) course will be as follows:

S.No.	Course	Annual Fee
1	BAMS	Rs. 3,60,000/-
2	Ayurveda PG (MD/MS)	Rs. 2,50,000/-

Continue on page -02

REGISTRAR
TANTIA UNIVERSITY
Sri Ganganagar (Rajasthan)

Item 1: ***Considered the Fee Structure of UG & PG courses of Homoeopathy.***

Res 01 It was resolved that fee structure of BHMS & MD (Homoeo.) course will be as follows:

S.No.	Course	Annual Fee
1	BHMS	Rs. 1,10,000/-
2	Homoeopathy PG (MD/MS)	Rs. 2,00,000/-

Sh. K.S. Sukhdev
(Executive Director)

Dr. Parveen Kumar
(Director Academic & Research)

Dr. Charanjeet Singh
(Dean, Faculty of Homoeopathy)

Dr. Mukesh Goyal
(Dean, Faculty of Para Med. & Allied H. Sci.)

Dr. Ajay Sharma
(Dean, Faculty of Ayurveda)

Dr. Subhash Upadhyay
(Principal, Ayurved College)

Mr. Harpal Singh Sohal
(CAFO)

Registrar
(Member Secretary)

REGISTRAR
TANTIA UNIVERSITY
Sri Ganganagar (Rajasthan)

Dr Sagar Mal Juniwal's

APEX UNIVERSITY

JAIPUR-303002, RAJASTHAN, INDIA

Recognized by UGC U/S 2(f) of the UGC Act, 1956
Established by The Rajasthan State Legislature Act No. 27 of 2018

Academic Excellence Since 1965
SANJAY SHIKSHA SAMITI

Dr. P. P. Vyas Sir
pl. put up
21/10/20

Ref. No. AU/ DSRRAU/2020/299

Date : 21/10/2020

To,
The Chairman
Counseling Board,
UG/PG/AYUSH Counselling Board,
Govt.of Rajasthan,
1st Floor, Administrative Building,
Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur

Sub: Request for participation in the counseling process for admissions in BNYS Course for the session 2020-21 with an intake of 100 seats in respect of Apex School of Naturopathy & Yogic Sciences, Apex University, Jaipur

Ref: No.-Office. Counseling Board/Jodhpur/2020-21/ Dated 21/09/2020

Respected Sir,

With reference to the above cited subject and your letter reference, we would like to submit herewith the required details pertaining to the participation of Apex School of Naturopathy & Yogic Sciences, Apex University, Jaipur in the BNYS counselling process for the academic year 2020-21 as follows:

S. No.	Name of Course	Session	No. of Seats	Annual Fee
1	Bachelor of Naturopathy & Yoga Science (BNYS)	2020-21	100	Rs.60,000/-

Thanking you in anticipation of your kind consideration on the above.

Best regards

21/10/20
Registrar
Apex University, Jaipur

REGISTRAR
APEX UNIVERSITY
JAIPUR

Encl: As above